



पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2645249 फैंक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक 1424/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-5

दिनांक : 19.07.2018

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप संख्या 1963/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-5 दिनांक 15.12.2016 के द्वारा मेदान्ता-द-मेडिसिटी, गुरुग्राम चिकित्सालय के साथ कैश-लैस व्यवस्था पर 30.06.2017 तक अनुबन्ध किया गया था, जिसको बाद में कारपोरेशन आदेश संख्या 1058/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-5 दिनांक 20.07.2017 के द्वारा दिनांक 30.06.2018 तक विस्तारित किया गया।

इस सम्बन्ध में मेदान्ता-द-मेडिसिटी चिकित्सालय के महाप्रबन्धक (वित्त) के साथ पाँवर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० के अधिकारियों के साथ हुयी वार्ता में उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनके चिकित्सालय प्रबन्धन में अनुबन्ध हेतु जो सहमति बनी है वह अनुबन्ध हस्ताक्षर की तिथि (दिनांक 16.12.2016) से 02 वर्ष अर्थात् दिनांक 16.12.2018 तक है।

अतः चिकित्सालय प्रबन्धन की सहमति से सभी रोगों हेतु (कैश-लैस व्यवस्था के अन्तर्गत) मेदान्ता-द-मेडिसिटी, 38, गुरुग्राम, हरियाणा की मान्यता अवधि 30.06.2018 के स्थान पर 16.12.2018 तक संशोधित/विस्तारित की जाती है।

निदेशक (मा०सं०)

पत्रांक : 1424 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / पी०-5 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निदेशक (वित्त) / (परि०एवंअनु०) / (परियोजना), पिटकुल, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता / महाप्रबन्धक / अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल।
4. उपमहाप्रबन्धक (सू०प्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ कि वह आदेश की प्रति पिटकुल की वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल।
6. श्री कैलाश अरोड़ा, महाप्रबन्धक (वित्त), मेदान्ता द मेडिसिटी, सेक्टर-38, गुरुग्राम, हरियाणा को उनके साथ हुयी वार्ता के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
7. सम्बन्धित पत्रावली / कट फाईल।

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा०सं०)